कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड

बनाम

नंदी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड

11 जुलाई, 2007

(डा॔०अरिजीत पसायत, पी० के० बालासुब्रमण्यम और डी० के० जैन,

न्यायमूर्ति)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 :

सेवा में कमी - क्षतिपूर्ति - औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा, शिकायतकर्ता को, कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिये भूमि आवंटित - ऋण स्वीकृत - बाद में, ऋण निरस्त क्योंकि भूखण्ड मालिकों के द्वारा मुकदमेबाजी प्रारम्भ कर दिये जाने से, शिकायतकर्ता परियोजना के सम्बन्ध में आगे नहीं बढ़ सका - बोर्ड के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णीत किया कि सेवा में कमी थी, शिकायतकर्ता तीन लाख क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है - अपील पर - सुप्रीम कोर्ट ने क्षतिपूर्ति की मात्रा तक सीमित नोटिस जारी किया - निर्णीत - सेवा में कमी के सम्बन्ध में उचित दृष्टिकोण अपनाया

गया है - हालांकि विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए एक लाख रूपये क्षतिपूर्ति सुनिश्चित किया।

प्रत्यर्थी कम्पनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष, अपीलार्थी औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के विरूद्ध सेवा में कमी बताते हुये एक परिवाद प्रस्तुत किया, कि बोर्ड के द्वारा उसे आवंटित भूखण्ड पर, प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिये, निर्माण गतिविधियों की क्रियान्विति नहीं की जा सकी है क्योंकि सम्बन्धित भूखण्ड की अवाप्ति के सम्बन्ध में मालिकों के द्वारा मुकदमेबाजी प्रारम्भ कर दी गयी है। अन्ततः शिकायतकर्ता के द्वारा प्राप्त किया गया ऋण निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रीय आयोग ने निर्णीत किया कि सेवा में कमी थी और शिकायतकर्ता तीन लाख रूपये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है। बोर्ड के द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर क्षतिपूर्ति की मात्रा तक ही सीमित नोटिस जारी किया गया।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

नोटिस में यह निर्दिष्ट था कि वह क्षतिपूर्ति के प्रश्न तक ही सीमित था। सेवा में कमी के बारे में उचित दृष्टिकोण अपनाया गया है। विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुये एक लाख रूपये क्षतिपूर्ति सुनिश्चित किया गया। [पैरा 10 और 11] {273 डी - इ}

सिविल अपीलेट क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या - 5542/2004 में आई० ए० नं० 1

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में मूल याचिका संख्या - 42/1999 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 28.04.2004 से अपील।

अपीलार्थी की ओर से किरन सूरी व एस० जे० अमिथ।

प्रत्यर्थी की ओर से एस० नन्दा कुमार, सतीश कुमार, के० मायिल सामी व वी० एन० रघुपथी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया -

डा० अरिजीत पसायत जे० -

1. इस अपील में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग) के द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। प्रत्यर्थी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया।

2. संक्षेप में तथ्य की पृष्ठभूमि निम्नांकित हैं -

3. परिवादी ने अपने परिवाद में अन्य बातों के साथ - साथ इस प्रकार कथन किया है कि -

परिवादी कम्पनी कर्नाटक राज्य में एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट खोलने की इच्छा से, भूमि आवंटन के लिये, सन 1991 में अपीलार्थी से आवेदन किया। अपीलार्थी के द्वारा समय समय पर अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त, कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए चिकबल्लापुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट नं० 2 पैमाईसी 2.5 एकड का भूखण्ड आवंटित किया गया। दिनांक 26/30.08.93 को कब्जा प्रमाण - पत्र जारी किया गया। इसी दौरान परिवादी ने कर्नाटक राज्य वित्त निगम (संक्षेप में केएफसी) से 67 लाख रूपये का ऋण भी प्राप्त कर लिया। अगस्त सन 1994 में पहली बार, अपीलार्थी के द्वारा परिवादी को एक पत्र लिखा गया कि "आवंटित भूखण्ड पर कम्पनी निर्माण गतिविधियों में आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि प्लाट नं० 2 आवेष्ठित एस वाई 29 और 30 जगलाथीमन्नाहल्ली गांव के मालिक रिट याचिका नं० 70/88 में अवाप्ति कार्यवाही को चुनौती देते हुये कर्नाटक उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा जारी स्थगनादेश को समाप्त कराने के लिये बोर्ड ने कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी है फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगनादेश को देखते हुये, कार्यान्वयन के लिये कम्पनी आगे नहीं बढ सकती। परिवादी ने, उक्त

भूखण्ड के सम्बन्ध में लम्बित मुकदमें के उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित किये जाने के बाद, क्रियान्विति के लिये आगे बढ़ने की अनुमति चाही। मुकदमे के निस्तारण के बाद परियोजना के कार्यान्वयन के लिये, बोर्ड द्वारा कम्पनी को समय भी अनुदत्त किया जाना चाहिये।

4. कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुये, मूल भूखण्डधारी ने बलपूर्वक कब्जा भी वापस ले लिया है। मूल भूखण्डधारी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये, परिवादी को बिना भूखण्ड के छोड दिया गया और भी कि सितम्बर 1994 में के०एफ०सी० ने इस तथ्य को देखते हुये सावधि ऋण को रद्द कर दिया कि परियोजना के कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई थी। चूंकि परिवादी परियोजना के साथ आगे बढने के लिये उत्सुक था, इसलिये कुछ जानकारी एकत्र करने पर, उसने अपीलार्थी से भूखण्ड संख्या - 1 ए और 1- बी आवंटित करने के लिये सम्पर्क किया, जो खाली पडे थे, जो परिवादी को सन 1995 में आवंटित किये गये थे। लेकिन एेसा लगता है कि दुर्भाग्य ने शिकायतकर्ता का पीछा करना बन्द नहीं किया था। भूखण्ड संख्या - 1 ए और 1 बी के सम्बन्ध में आवंटन होने पर भूखण्ड पर फिर से कार्य प्रारम्भ करते ही, भूखण्ड के मूल आवंटियों ने परिवादी को पक्षकार बनाते हुये उच्च न्यायालय का रूख किया। हालांकि, लम्बी मुकदमेबाजी के उपरान्त रिट

याचिका खारिज कर दी गयी थी लेकिन इस बीच ऋण रदद कर दिया गया था और परिवादी को अलग थलग छोड दिया गया था। इन परिस्थितियों में सेवा में कमी का आरोप लगाते हुये परिवाद प्रस्तुत किया गया था।

5. अपीलार्थी बोर्ड, नोटिस जारी होने पर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने यह आधार लिया कि सेवा में कोई कमी नहीं थी और उसने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 (संक्षेप में अधिनियम) और उसके अधीन बनाये गये नियम के शर्तो और प्रक्रिया के तहत कार्य किया था। राज्य सरकार ने भूमि की अवाप्ति कर, विकास और उद्योग स्थापित करने के लिये आवंटन हेतु अपीलार्थी को सुपुर्द किया है। अवाप्ति की कार्यवाही राज्य सरकार के द्वारा की गयी थी। भूखण्ड सुपुर्द करने के उपरान्त उसे विकसित कर विभिन्न उद्यमियाेंं को आवंटित किया गया था। चूंकि अपीलार्थी को सरकार और भूखण्ड संख्या - 2 के मूल भू-धारक के बीच मुकदमें के लम्बित होने के बारे में पता चला था, इसलिये परिवादी को नोटिस दिया था और परिवादी के लिये जो कुछ भी करने की आवश्यकता थी, वह किया गया था। उसकी सेवा में कोई कमी नहीं थी, जिसके लिये सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाये, जिसने अवाप्ति कर अपीलार्थी के लिये भूमि प्राप्त की।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त राष्ट्रीय आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी स्पष्ट रूप से दोषी था। सेवा में कमी थी और चूंकि एेसा था इसलिये अभिनिर्धारित किया कि परिवाद स्वीकार होने योग्य था। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये राष्ट्रीय आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि परिवादी तीन लाख रूपये के क्षतिपूर्ति का हकदार है। राष्ट्रीय आयोग का आदेश इस अपील में चुनौती की विषयवस्तु है।

7. अपील के समर्थन में यह निवेदित किया गया कि जैसा कि ऊपर कहा गया है, सेवा में काेई कमी नहीं है। किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति देने की कोई गुंजाईश नहीं है।

8. दूसरी तरफ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने राष्ट्रीय आयोग के आदेश का समर्थन किया है।

9. दिनांक 10.09.2004 को नोटिस जारी करते समय, नोटिस को क्षतिपूर्ति के प्रश्न तक ही सीमित रखा गया था। अपील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि सेवा में कोई कमी नहीं है। विभिन्न समय बिन्दु पर हर सम्भव कदम उठाये गये थे। एक काल्पनिक मामले में, जो कि स्थापित नहीं था, राष्ट्रीय आयोग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से अभिनिर्धारित किया है कि यह सेवा दोष का मामला था।

10. नोटिस में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह संकेत दिया गया था कि नोटिस क्षतिपूर्ति के प्रश्न तक ही सीमित है। सेवा की कमी के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

11. हालांकि एकमात्र सवाल मात्रा के सम्बन्ध में है। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, हम इसे एक लाख रूपये तय करते हैं। यह आज से 04 सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को भुगतान किया जाना है।

12. उपरोक्त परिस्थितियों में अपील स्वीकार की जाती है। अपील के निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये आई० ए० में आदेश की आवश्यकता नहीं है। खर्चे का कोई आदेश नहीं होगा।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बाल कृष्ण मिश्र (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।